पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 बाबत् प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7, 8 एवं 9 के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2005 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील दिनांक 12.12.2011 को भारी मियाद बाहर पेश की है। उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के आदेश क्रमांक मुंतकिली प्रा0पत्र/टीए/2771/2017/ टोंक दिनांक 18.5.2017 से न्यायालय हाजा को स्थानातंरण से प्राप्त हुई है । अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध 6 वर्ष की भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलंब के संदर्भ में अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है इसलिये सर्वप्रथम धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना विधिसम्मत् है ।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे असत्य कथन है क्योंकि रेस्पो0 अधी0न्याया0 में दौराने अंतिम बहस एवं निर्णय पारित करते समय अपीलांट्स एवं उनके अभिभाषक उपस्थित थे । यह भी कथन किया कि अपीलांट्स ने ही वादी इस्माईल हैदरी उर्फ नसीम हैदरी की मृत्यु की सूचना देकर रिकार्ड पर आये है तथा वकालतनामा पेश किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जावेगी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट संख्या 2 की दुकान टोंक जिले से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, तथा इसी प्रकार अपीलांट संख्या 1 नगर परिषद, टोंक में कार्यरत है इसलिये अपीलांट्स का यह कथन कि वे टोंक जिले से बाहर कमाने खाने के लिये चले गये थे जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकने संबंधी किया गया कथन असत्य है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष स्वंय गवाह के रूप में भी हाजिर हुआ था जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 2 को अधी0न्याया0 में विचाराधीन वाद की संपूर्ण जानकारी थी तथा निरन्तर सद्भाविक रूप से पैरवी कर रहा था । अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । रेस्पो0 भूतपूर्व सैनिक के वारिसान है जिसे अपीलांट्स ने अनावश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझाने की नियत से वाद एवं अपील प्रस्तुत की है जो निरस्तनीय है । अपीलांट्स को प्रकरण में जीत की कोई संभावना प्रतीत नहीं होने से ही अपीलांट्स ने काफी सोच-विचार करके रेस्पो0 को हैरान-परेशान करने की नियत से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है । विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 7 से 9 की माता द्वारा दिनांक 1.8.1968 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के

रिकार्डेड खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा क्रय दिनांक से रेस्पो0 ही विवादित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की थी इसलिये जब तक विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक अपीलांट्स को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलांट्स का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट्स ने 6 वर्षो की भारी मियाद बाहर प्रस्तुत अपील के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है वरन् झूंठे एवं पूर्णरूप से असत्य कथन के साथ अपील पेश की है जबकि अपीलांट्स को विलंब के दिन प्रतिदिन के समुचित एवं तार्किक कारण अंकित करने चाहिये थे । अपीलांट्स द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में तथ्यों से परे शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पो0 संख्या 7 से 9 द्वारा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्यात्मक व विधिक तथ्य प्रस्तुत किये है जो सही है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो0 संख्या 7 से 9 के तलबाना नोटिस लगभग 5 वर्षो तक पेश नहीं किये जो अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में देरीना करने की मंशा को प्रकट करता है। अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 स्वीकार कर अपील अपीलांट्स मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दू के आधार पर निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट्स ने रेस्पो0 के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण को भी चुनौती नहीं दी है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 राज0 2003 (1) पेज 219, आर0आर0डी0 1997 पेज 350, 2002 (2) राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 258, डी0एन0जे0 1998 (2) पेज 767, आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 438, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 488, डी0एन0जे0 2009 (1) पेज 215, आर0आर0डी0 1990 पेज 445, आर0बी0जे 2009 पेज 208, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 946 सुप्रीमकोर्ट, आर0आर0डी0 1995 पेज 463, आर0आर0डी0 1990 पेज 170, आर0आर0डी0 1991 पेज 426, आर0बी0जे0 2009 (16) पेज 209, आर0एल0डब्ल्यू0 2009 (2) राज0 पेज 985, आर0आर0डी0 1997 पेज 350, डी0एन0जे0 2009 (1) राज0 पेज 215, ए0आई0आर0 1998 सुप्रीमकोर्ट पेज 2276 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

विद्वान वकील अपीलांट्स ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 में उक्त वाद अपीलांट्स के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में किया गया था तथा उक्त वाद की समस्त जानकारी उन्हीं को थी । उनके पिता के इंतकाल होने पर वाद में नियुक्त अधिवक्ता ने मुंशी को भेजकर एक वकालतनामा एवं कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाये तब अपीलांट्स ने इस प्रकरण की

जानकारी अधिवक्ता से लेनी चाही तो अधिवक्ता ने बताया कि उक्त वाद में हमारे पिता की मृत्यु होने से उनके स्थान पर हमारा नाम जोड़ा जावेगा, इसके अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई तथा यह बताया कि प्रकरण में जब भी हमारी आवश्यकता होगी सूचित कर देंगे तत्पश्चात् अपीलांट्स कमाने–खाने के लिये बाहर चले गये । प्रकरण में लगभग 4–5 वर्षो तक अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.11.2011 को तब हुई जब अपीलांट्स मौके पर अपनी जमीन को संभालने के लिये गये तब रेस्पोडेंट्स ने कहा कि यह जमीन उनके द्वारा खरीद ली गई है तथा वाद का निर्णय लगभग 5–6 वर्ष पूर्व उनके पक्ष में हो चुका है तथा निर्णय की सूचना भी मुंशी के माध्यम से हमारे घर पर भिजवाई थी लेकिन घर बंद मिला । तत्पश्चात् अपीलांट्स ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट्स द्वारा अपील में जानबूझकर विलंब नहीं किया गया है बल्कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होने से उक्त विलंब हुआ है जो उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि मोलनी मोहम्मद युसुफ की खातेदारी की भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है । मोहम्मद युसुफ के वारिसान वादी स्व0 मोहम्मद उस्मान थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 है । स्व0 मोहम्मद उस्मान का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा था किन्तु उन्होंने गलत रूप से संपूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । स्व0 मो0 हैदरी ने गलत रूप से संपूर्ण भूमि को प्रतिवादी नं0 8 को बैचान कर दिया जबकि मुस्लिम लॉ के अनुसार केवल आधा हिस्सा का अधिकारी था । वर्तमान में संपूर्ण भूमि प्रतिवादी नंबर 8 के नाम दर्ज है किन्तु मौके पर आज भी कब्जा अपीलांट्स का ही है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा जब तक प्रकरण गुणावगुण पर बिल्कुल गलत साबित ना हो विलंब को क्षमा किया जाना चाहिये। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये ।

विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 163 सुप्रीमकोर्ट, आर0आर0टी0 2014–15 सप्लीमेंट्री पेज 599, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 648, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 374 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

प्रकरण में जवाब उल जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 ने कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांट्स के कोई हक व अधिकार एवं कब्जा नहीं है ना ही

प्रकरण में अपीलांट्स के पक्ष में कोई मेरिट है केवल मात्र रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है । विवादित भूमि रेस्पो0 ने सन् 1968 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय दिनांक से रेस्पो0 ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है ।

हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया । अपील पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2005 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील दिनांक 12.12. 2011 को लगभग 6 वर्षो की भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । अपीलांट्स अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट्स के पिता का इंतकाल होने पर अपीलांट्स के पिता द्वारा वाद में नियुक्त अभिभाषक द्वारा मुंशी को भेजकर वकालतनामा एवं कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा यह आश्वासन दिया गया कि प्रकरण में जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर देंगे किन्तु अपीलांट्स को उनके अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई एवं अपीलांट्स के बाहर कमाने-खाने चले जाने से भी अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2005 की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । इसके विपरीत रेस्पोडेंट्स के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट्स ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है क्योंकि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सद्भाविक रूप से वाद में पैरवी की जा रही थी तथा अंतिम बहस एवं निर्णय के समय अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता अधी0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे जिससे अपीलांट्स का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा समय पर नहीं दिये जाने संबंधी किया गया कथन असत्य है ।

प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र अंतर्गत मियाद अधि0 एवं रेस्पोडेंट्स अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/आपत्ति अंतर्गत आदेश 41 नियम 3-ए सपठित धारा 151 जा0दी0 के संबंध में हमनें उभयपक्ष की बहस में दिये गये तर्को पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया । न्यायालय हाजा एवं अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोंक की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2005 के विरूद्ध दिनांक 12.12. 2011 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो निश्चित रूप से लगभग 6 वर्षो की भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.9.2001 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वकील वादी ने अधी0न्याया0 के

समक्ष वादी की मृत्यु होना जाहिर किया है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 149 पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र उपलब्ध है, जिसके अनुसार अपीलांट्स इकबाल हैदरी, फैसल हेदरी, नवेद हैदरी, सोहेले हैदरी, मु0 अन्नन, नाहिद, राशेदा, अजरा, निवासी काली पलटन, टोंक ने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2001 को पेश कर वादी का देहांत दिनांक 20.9.2001 को होने का कथन कर वादी के स्थान के पर वाद में स्वंय को वादी नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा के प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 2 फैसल हैदरी पुत्र इस्माईल हैदरी ने दिनांक 28.1.2004 को अधी0न्याया0 में अपने बयान दर्ज कराये है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 7.5.2005 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को वकुलाय फरिकेन वादी के वाद में अंतिम बहस सुनी गई तथा दिनांक 23.5.2005 को निर्णय पारित करते समय भी वकुलाय फरिकेन अधी0न्याया0 में उपस्थित थे । उपरोक्त तथ्यों से अपीलांट्स का यह कथन कि अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद की पैरवी उनके पिता करते थे तथा वाद की संपूर्ण जानकारी अपीलांट्स के पिता को होने संबंधी किया गया कथन पूर्ण रूप से असत्य है । दौराने बहस रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 को नगर परिषद,टोंक में कार्यरत होने का कथन किया किन्तु अपीलांट्स ने इस कथन का खण्डन नहीं किया है जिससे अपीलांट्स का यह कथन कि सभी अपीलांट्स कमाने-खाने बाहर चले गये थे किया गया कथन भी पूर्णतया असत्य है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5. 2005 के विरूद्ध भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में दिनांक 14.12.2011 को लगभग 6 वर्ष बाद अपील पेश की तथा अपील पेश करने के लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 21.12.2016 को रेस्पो0 संख्या 7 से 9 के तलाबाना नोटिस पेश किये तथा उक्त कृत्य प्रकरण को विलंब करने की अपीलांट्स की मंशा को प्रकट करता है। अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि जहां प्रकरण में विधिक तथ्य निहित हो वहां प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि तत्कालीन खातेदार उस्मान हैदरी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.8.1968 को अपीलांट्स ने क्रय कर कब्जा प्राप्त करना तथा जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 जो प्रदर्श-8 है के अनुसार श्रीमती सई दुन्निसा बैगम के नाम होना सिद्ध है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से रेस्पो0 का ही कब्जा सिद्ध होता हैं।

हम रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 438 से पूर्णतया सहमत

है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "INDIAN LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5- When there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned. रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2009 (2) राज0 पेज 985 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " The party who makes false allegations and does not come with clean hands is not equitable relief. अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अधी0न्याया0 में विचाराधीन वाद की संपूर्ण जानकारी थी तथा अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में जरिये अधिवक्ता नियमित पैरवी की जा रही थी । इस संबंध में आर0आर0डी0 1990 पेज 445 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जावेगी । इसके बावजूद अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है तथा अपीलांट्स ने बनावटी व तथ्यों से परे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया है । अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा क्रय दिनांक 1968 से रेस्पो0 ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त है, तथा जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 प्रदर्श-8 के अनुसार श्रीमती सई दुन्निसा बैगम का कब्जा है । अधी0न्याया0 ने भी वाद में संपूर्ण तथ्यों की जांच उपरांत वादीगण/अपीलांट्स का वाद अपास्त किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स के पक्ष में कोई मेरिट भी नहीं है । अपीलांट्स अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में बनावटी व तथ्यों से परे कथन अंकित कर स्वच्छ हाथों से अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारणों के अभाव में इतने वर्षो का भारी विलंब क्षम्य नहीं किया जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में रेस्पो0 संख्या 7, 8 एवं 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 बाबत् प्राथमिक आपत्ति स्वीकार योग्य तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दू पर अपास्त योग्य पायी जाती है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 स्वीकार किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2017/00130 बउनवानी इकबाल हैदरी व अन्य बनाम मौहम्मद सईद व अन्य को मियाद

बिन्दू अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2005 को यथावत् रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजालस सुनाया गया ।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर